

10 $\frac{2}{25}$

प्रार्थी के अधिवक्ता उप०। अप्रार्थी सं० 2
के अधिवक्ता उप०। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा
हस्तगत प्रार्थना-पत्र आगे नहीं चलाना चाहते
हैं, लिहाजा प्रार्थी का यह निगरानी प्रार्थना-
पत्र जारीये विद्दे खारिज किया जाता है।
पत्रावली फ़ैसल 25मर होकर नंबर से कम
हो एवं दाखिल कतार हो।

का
12

अपर कलक्टर बाडमेर
(ए.डी.एम.)

